संख्या:23/2016/762/61-2016.

प्रेषक,

एस0 पी0 उपाध्याय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊ दिनांक सितम्बर, 2016.

विषय: मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उ0प्र0 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं सफाई कर्मचारी की आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवायें लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्वाचन विभाग की कार्यात्मक आवश्यकता/आगामी विधान सभा समान्य निर्वाचन 2017 की तैयारियों के संदर्भ में शासनादेश संख्या-17/2015/781/61-2015-58/1-2-2013(अनु0-3) दिनांक 20 नवम्बर 2015 के क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उ0प्र0 में निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके सम्मुख उल्लिखित अवधि के लिये आउट सोर्सिंग के माध्यम से नियमानुसार न्यूनतम दर पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	पद स्वीकृति की अवधि
1	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	04 (चार) पद	दिनांक 01.11.2016 से 31.10.2017 तक
1	सफाई कर्मचारी	01 (एक) पद	,, ,, ,,

2- आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिए जाने वाले स्टाफ पर होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या-41 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2015-निर्वाचन आयोजनेत्तर-103-निर्वाचक नामावली तैयार करना एवं मुद्रण -05-निर्वाचन अधिष्ठान व्यय-16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" मद के नामें डाला जायेगा।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-12-1061/दस-2016 दिनांक 08 सितम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(**एस0 पी0 उपाध्याय**)
उप सचिव।

संख्या:23/2016/762/(1)/61-2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी, निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
(6) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(**एस0 पी0 उपाध्याय**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।